UPKR010025702026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कासगंज।

पीठासीन अधिकारी–रामेश्वर, (एच0जे0एस0)

I.D. No.UP6537

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1174/2026

1–भूरे सिंह पुत्र लाखन सिंह
2–राजेश कुमार पाल उर्फ पप्पू पुत्र राजाराम
निवासीगण ग्राम नगला नारायन थाना गंजडुण्डवार, जिला–कासगंज।

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' जनपद कासगंज।

2– वादी अतर सिंह पुत्र श्री तेजपाल सिंह निवासी ग्राम नगला नरायन थाना गंजडुण्डवारा, जिला–कासगंज।

अपराध संख्या–78/2026
धारा– 103(1),190,191(2),191(3) बी0एन0एस0
थाना–गंजडुण्डवारा, जिला–कासगंज।

10.08.2026

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्तगण भूरे सिंह एवं राजेश कुमार की ओर से अपराध संख्या–78/2026, धारा–103(1),190,191(2),191(3) बी0 एन0 एस0, थाना–गंजडुण्डवारा, जिला– कासगंज के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार वादी पर नोटिस की तामीला पर्याप्त है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा अतर सिंह द्वारा एक तहरीर सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 03.04.2026 को समय करीब छ बजकर 30 मिनट पर उसका पुत्र विजितेन्द्र कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी नगला नरायन थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज 27 वर्ष गांव के बाहर गूलर के पास वरसीम लेने गया था। तभी जगमोहन पुत्र यादराम, राहुल पुत्र मेघ सिंह, सुरेश चन्द्र पुत्र रामदास, रामसेवक पुत्र रामदास निवासीगंण ग्राम नगला नरायन थाना गंजडुण्डबारा जनपद कासगंज जिनसे उनकी पूर्व मे कहा सुनी हो गयी थी, उपरोक्त सभी लोग एक राय होकर

Digitally signed by RAMESHWAR
Date: 2026.08.10 16:43:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आये और उसके पुत्र विजितेन्द्र कुमार को जान से मारने की नीयत से तंमचे से गोली मार दी जो उसके सिर में लगी है, जो कि घायल अवस्था मे उपचार हेतु CHC गंजडुण्डवारा ले जाया गया है। जहां से उन्हे रैफर कर दिया गया है। हालात गम्भीर है। रिपोर्ट को आया है, रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा धारा 109(1) बी.एन.एस. में पंजीकृत किया गया तथा दौरान इलाज मजरूब की मृत्यु हो जाने, अन्य अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आने तथा आलाकत्ल बरामद होने के आधार पर मामले में मामले को धारा 103(1) बी.एन.एस. में तरमीम किया गया तथा धारा 190,191(2),191(3) बी0एन0एस0 एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी है तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

4— अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह तर्क लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को उपरोक्त मुकदमा में गांव की पार्टीबन्दी की रंजिशन झूॅठा फंसाया गया है, वे नितान्त निर्दोष हैं। सर्वप्रथम प्राथमिकी अ0सं0 78/2026 में दिनांक 03.04.2026 को वादी मुकद्दमा द्वारा अतर सिंह द्वारा जगमोहन, राहुल, सुरेश चन्द्र व रामसेवक पुत्र रामदास के विरूद्ध अंतर्गत धारा—109(1) बी.एन.एस में दर्ज कराई गयी। दौरान विवेचना जगमोहन के विरूद्ध अंतर्गत धारा—103(1),190,191(2),191 (3) बी.एन.एस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व राहुल के विरूद्ध धारा—103(1),190,191(2),191(3) बी.एन.एस के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 01.07.2026 को प्रेषित किया तथा प्रकाश में आये मुल्जिम यादराम पुत्र धन सिंह व राजेश उर्फ पप्पू पुत्र राजाराम व भूरे पुत्र लाखन व रामदास या रामनाथ के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है। उपरोक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में हत्या एवं घटना कारित करने के सम्बन्ध में कोई आरोप नहीं लगाया गया है तदनुसार वे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। उपरोक्त मामले में दौरान विवेचना में यह तथ्य सी.डी नं0—15 में प्रकाश में आया कि घटना के सम्बन्ध में सत्यता जानने का प्रयास किया तो गावं के बाहर पेड़ के नीचे दो व्यक्तियों ने अपना नाम पता न बताने की शर्त पर बताया कि जगमोहन उर्फ राजकुमार जो खेत चला गया है ने एक मुकद्दमा अ०सं० 174/2025 जगमोहन बनाम जितेन्द्र आदि के नाम से विचाराधीन है जिसमें मृतक विजतेन्द्र व कु० संध्या, सचिन उर्फ टीटू के विरूद्ध नोटिस जारी है। उनके सुनने में यह भी आया है कि मृतक विजतेन्द्र को इंचार्ज की लडकी के साथ घरवालों ने पकड़ लिया था। मृतक विजतेन्द्र अपनी अपाचे मोटर साईकिल व फोन वहीं छोडकर भाग गया था। उसके बाद मृतक विजतेन्द्र का भाई पंकज कई लोगों के साथ इंचार्ज के लडके को पीटने के लिए गया। दोनों पार्टी में झगडा हो गया उन्हें लग रहा कि इसी डर की वजह से मृतक विजतेन्द्र ने गोली मार ली जिसका तमंचा भी वही पडा था जो उसकी बहन उठाकर ले गयी। मृतक विजतेन्द्र के घर कैमरा लगा है इसे भी चैक कर लिया जाये। उपरोक्त मामले में उनका नाम बताया एक ट्यूट व फर्जी वीडियो के आधार पर प्रकाश में आया जबकि कथित फर्जी वीडियो के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी का कोई प्रमाण पत्र धारा—63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत जारी नहीं किया गया है।

उपरोक्त मामले में वादी मुकद्दमा की पूर्व से रंजिश होने के कारण उनका नाम फर्जी वीडियो में समझाकर बढवाया गया है। उन्होंने उपरोक्त धाराओं से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया है। उक्त मामले में जनता का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष गवाह नहीं है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे दिनांक 01.08.2026 से जिला कारागार कासगंज में निरूद्ध हैं तथा अपनी जमानत देने को तैयार है और अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगें। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के पुत्र विजितेन्द्र कुमार की गोली मार कर हत्या कारित की गयी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

6— पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है तथा उनके विरूद्ध सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र विजितेन्द्र कुमार के सिर में तंमचा से गोली मार कर हत्या किये जाने के अभियोग हैं। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर कुल 02 चोटें आना दर्शित की गयीं हैं तथा रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण "Shock & Coma Antemortem Injuries " से होना अंकित है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

7— अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के तथ्यों पर गुणदोष के आधार पर मत व्यक्त किये बिना इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण भूरे सिंह एवं राजेश कुमार पाल उर्फ पप्पू द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त किया जाता है।

स्टेनो रामेश्वर दयाल

(रामेश्वर)
सत्र न्यायाधीश,
कासगंज।
10.08.2026